



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 चैत्र, 1947 (श०)

संख्या - 158 राँची, शुक्रवार,

28 मार्च, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

25 फरवरी, 2025

सं०सं०-04/नि०सं०-12-20/2014 का. 1143--स्व० विनय कुमार लाल, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 445/03, गृह जिला भागलपुर, बिहार), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मयूरहण्ड, चतरा की पत्नी श्रीमती पुष्पा लाल ने पेंशनादि के भुगतान हेतु स्व० लाल के सेवावधि से संबंधित अविनियमित अवधि दिनांक 01.02.1997 से 28.05.2001 तक (कुल 1578 दिन) तथा दिनांक 11.11.2005 से 09.01.2007 (कुल 425 दिन) तक को असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत /विनियमित करने हेतु दिनांक 24.09.2024 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया ।

2. वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग के पत्रांक 376/दा०को० दिनांक 28.06.2024 द्वारा निर्गत स्व० लाल के सेवा अभिलेख में दिनांक 01.02.1997 से 09.01.2007 तक की सेवा अवधि अविनियमित रहने का उल्लेख है ।

3. उपरोक्त अविनियमित अवधि के विनियमन के अभाव में स्व० लाल का पेंशनादि का भुगतान लंबित है।

4. उल्लेखनीय है कि स्व० लाल दिनांक 31.01.2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा दिनांक 21.04.2021 को उनकी मृत्यु हो चुकी है।

5. स्व० लाल के अविनियमित अवधि दिनांक 01.02.1997 से 09.01.2007 तक के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है-

(i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या 2867 दिनांक 29.05.2001 द्वारा स्व० लाल को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया गया एवं संकल्प संख्या 2879 दिनांक 29.05.2001 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

(ii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश संख्या 2724 दिनांक 11.11.2005 द्वारा स्व० लाल को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त किया गया। इस प्रकार स्व० लाल दिनांक 29.05.2001 से 10.11.2005 तक निलंबित थे।

(iii) विभागीय आदेश संख्या 8690 दिनांक 26.07.2012 द्वारा स्व० लाल के उपरोक्त निलंबन अवधि दिनांक 29.05.2001 से 10.11.2005 तक की गणना पेंशनादि के प्रयोजनार्थ कर्तव्य पर बितायी गई अवधि के रूप में करते हुए विनियमित किया गया है।

6. (i) स्व० लाल के पेंशनादि भुगतान तथा MACP का लाभ स्वीकृत किये जाने के संबंध में स्व० लाल की पत्नी श्रीमती पुष्पा लाल द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में WP (S) No. 4496/2023 पुष्पा लाल बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया था, जिसमें दिनांक 21.09.2023 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है

"3. Accordingly, the petitioner is given liberty to prefer a fresh representation raising the aforesaid claim before the respondent no. 2. On receipt of the said representation, the respondent no. 2, after verifying the relevant records, shall take appropriate informed decision within four weeks from the date of filing of the representation and to release the admissible amount in favour of the petitioner within four weeks thereafter.

4. If the said respondent declines any such claim of the petitioner, the reason thereof shall be communicated to her within the aforesaid period.

5. The writ petition is accordingly disposed of with aforesaid liberty and direction."

(ii) उपरोक्त न्यायादेश के आलोक में श्रीमती पुष्पा लाल द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसकी कंडिका-7 में स्व० लाल को MACP का लाभ स्वीकृत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था ।

(iii) विभागीय तार्किक आदेश ज्ञापांक 790 दिनांक 05.02.2024 द्वारा स्व० लाल को द्वितीय एवं तृतीय MACP अनुमान्य नहीं रहने के कारण श्रीमती लाल द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की कंडिका 7 को अस्वीकृत किया गया ।

7. वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग द्वारा निर्गत सेवा अभिलेख के आलोक में स्व० लाल की पत्नी श्रीमती पुष्पा लाल द्वारा दिनांक 01.02.1997 से 28.05.2001 तक (कुल 1578 दिन) तथा दिनांक 11.11.2005 से 09.01.2007 तक (कुल 425 दिन) की अविनियमित अवधि के विनियमन से संबंधित कोई कागजात समर्पित नहीं किया गया तथा उपरोक्त अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है ।

8. उपर्युक्ता वर्णित परिप्रेक्ष्य में स्व० विनय कुमार लाल, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 445/03, गृह जिला भागलपुर, बिहार), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मयूरहण्ड, चतरा के अविनियमित/अनिर्णित अवधि दिनांक 01.02.1997 से 28.05.2001 तक (कुल 1578 दिन) तथा दिनांक 11.11.2005 से 09.01.2007 (कुल 425 दिन) तक को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 180 (ख) के तहत असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।
